स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985

(Narcotic Drugs & Psychotropic Substance Act, 1985)

(स्वापक औषधि या मनोत्तेजक पदार्थो के अवैध व्यापार से प्राप्त या उसमे प्रयुक्त सम्पत्ति के समपहरण का उपबंध करने के लिये स्वापक औषधि या मनः प्रभावी पदार्थ अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के उपबन्धो को कार्यान्वित करने के लिये कठोर उपबन्ध बनाने के लिये अधिनियमित किया जाकर 14 नवंबर 1985 से इस अधिनियम को पूर्ण भारत वर्ष मे प्रभावशील किया गया है।)

धारा 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :– इस अधिनियम को मादक–द्रव्यो एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम, 1985 कहा जा सकेगा जो सम्पूर्ण भारतवर्ष के साथ भारतवर्ष के बाहर, भारतवर्ष के सभी नागरिको परतथा भारत मे पंजीकृत जलयान और वायुयान पर सवार सभी व्यक्तियो को भी जहॉ भी वे हो, लागू होगा ।

धारा 2 परिभाषाएं :– इस अधिनियम के अंर्तगत, स्वापक औषधि या मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम से संबधित 29 शब्दो की परिभाषा दी गई है जैसे–

आदि व्यसनी से अर्थ है जिसकी किसी स्वापक औषधि या मनोत्तेजक पदार्थ पर आश्रितता (Dependence)है,

तथा

"**विनिर्माण**"(Manufacture) स्वापक औषधियॉ या मनोत्तेजक पदार्थो के संबंध मे निम्न शामिल है :–

1 उत्पादन को छोडकर सभी प्रक्रियाए जिनके द्वारा ऐसी औषधियॉ या पदार्थ प्राप्त किये जा सकते हो ।

2 ऐसे औषधियॉ या पदार्थो का शोधन करना

3 ऐसे औषधियॉ या पदार्थो का रूपान्तरण करना, और

4 ऐसे औषधियॉ या पदार्थो से या उन्हे समाविष्ट करते हुए विनिर्मिती तैयार करना (नुस्खे पर फार्मेसी मे

तैयार करने को छोडकर) इत्यादि ।

अध्याय–2
प्राधिकारीगण एवं अधिकारीगण

धारा – 3 मनोत्तेजक पदार्थो की सूची मे जोडने और लोप करने की शक्ति :– केन्द्र सरकार यदि इस बात से सन्तुष्ट हो कि ऐसा करना निम्न आधारो पर आवश्यक या समीचीन है तो राजपत्र मे अधिसूचना के द्वारा अनूसूची मे विनिर्दिष्ट मनोत्तेजक पदार्थो की सूची मे यथास्थिति मे ऐसे पदार्थ या प्राकृतिक सामग्री या लवण या ऐसे पदार्थ की निर्मित या सामग्री को जोड सकती है या उसमे से निकाल सकती है ।

धारा– 4 स्वापक औषधियो आदि के अवैध यातायात और उसके दूरूपयोग के रोकथाम और निवारण के लिये केन्द्र सरकार के द्वारा उपाय करना :– इस अधिनियम के उपबन्धो के अध्यधीन रहते हूए केन्द्र सरकार स्वापक, औषधिया और मनोत्तेजक पदार्थो के दुरूपयोग के रोकथाम करने और निवारण के प्रयोजन के लिये और उनके अवैध यातायात के रोकथाम के लिये, ऐसे सभी उपाय करेगी।

धारा – 5 केन्द्र सरकार के अधिकारी :– धारा 4की उपधारा 2 के उपबन्धो पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्र सरकार स्वापक आयुक्त नियुक्त करेगी और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए ऐसे अन्य अधिकारी ऐसे पदनाम से भी नियुक्त करेगी जैसा कि वह उचित समझे ।

धारा – 6 स्वापक औषधियॉ और मनोत्तेजक पदार्थ परामर्शदात्री समिति :– केन्द्र सरकार को इस अधिनियम के कियान्वयन से सम्बन्धित विषयो पर, जो कि समय समय पर उसको (समिति को) उस सरकार के द्वारा सन्दर्भित किये जाय, परामर्श देने के लिए केन्द्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा ''स्वापक, औषधिया और मनोत्तेजक पदार्थ परामर्शदात्री समिति'' कहे जाने वाली एक परामर्शदात्री समिति गठित कर सकती है ।

धारा – 7 राज्य सरकार के अधिकारीगण :– इस अधिनियम के प्रयोजनो के लिये राज्य सरकार ऐसे अधिकारी ऐसे पदनाम सहित नियुक्त कर सकती है जैसा वह उचित समझे ।

अध्याय 2–क
औषधि के दुरूपयोग के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय निधि

धारा – 7(क) औषधि के दुरूपयोग के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय निधि :– केन्द्रीय सरकार राजपत्र मे अधिसूचना द्वारा एक निधि स्थापित कर सकेगी जो राष्ट्रीय औषधि दुरूपयोग नियंत्रण निधि (जिसे इस अध्याय मे इसके पश्चात् निधि कहा गया है) कहलाएगी।

धारा – 7(ख) निधि के अधीन वित्तपोषित कियाकलापो की वार्षिक रिर्पोट :– केन्द्रीय सरकार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत पश्चात्, यथाशक्ष्य शीघ्र राजपत्र मे, एक रिपोर्ट प्रकाशित करवाएगी जिसमे लेखाओ के विवरण सहित वित्तीय वर्ष के दौरान धारा 7 क के अधीन वित्तपोषित किया कलापो का लेखा जोखा दिया जायेगा।

अध्याय –3
निषेध, नियंत्रण और विनिमय

धारा – 8 कतिपय कियाओ का निषेध :– कोई भी व्यक्ति

(अ) कोका पौधे की कृषि नहीं करेगा या कोका पौधे के किसी भाग को एकत्रित नहीं करेगा या

(ब) अफीम, पोस्ता या किसी केन्नाबिस पौधे की खेती नहीं करेगा, या

(स) केवल भेषजक या वैज्ञानिक प्रयोजनो और इस अधिनियम के उपबन्धित सीमा तक और तरीके मे या उसके अर्न्तगत बनाये गये नियम या आदेशो को छोडकर और ऐसी स्थिति मे जहॉ ऐसा उपबंध, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा, या प्राधिकुत करने क`निबन्धन एवं शतो को ही अनुसार के सिवाय किसी स्वापक औषधि या मनोत्तेजक पदार्थ का उत्पादन विनिर्माण कब्जे मे रखना बिक्री खरीदी परिवहन गोदाम मे रखना उपयोग अर्न्तराज्य आयत अन्तर्राज्य निर्यात भारत मे आयात या पोतान्तर नही करेगा ।

धारा 8–ए अपराध से प्राप्त संपत्ति से संबधित कतिपय कियाकलापो का निषेध ।

धारा 9 अनुमति देने, नियंत्रण और विनियमित करने की केन्द्र सरकार की शक्ति :– धारा 8 के उपबन्धो के अध्यधीन रहते हुये केन्द्र सरकार नियमो के द्वारा निम्न की अनुमति दे सकती है और विनियमित कर सकती है

1 कोका पौधे की क्ष्खेती या किसी भाग को एकत्रित करना या कोका पत्तियो के उत्पादन या कब्जा बिक्री खरीदी परिवहन आयात निर्यात उपयोग या उपभोग

2 अफीम पोस्ते की खेती

3 अफीम के उत्पादन/विनिर्माण और पोस्ते डंठल का उत्पादन

4 विनिर्मित का विनिर्माण

5 मनोत्तेजक पदार्थो का निमौण, परिवहन, कब्जा, आयात, निर्यात, बिक्री, खरीदी, उपयोग या उपभोग

धारा 9–क नियंत्रित पदार्थो को और विनियमित करने की शक्ति :– यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि किसी स्वापक औषधि या मनः प्रभावी पदार्थ के उत्पादन या विनिर्माण मे किसी नियंत्रित पदार्थ के प्रयोग की घ्यान मे रखते हुए लोकहित मे ऐसा करना आवश्यक या सीमीचीन है तो वह आदेश द्वारा उस के उत्पादन विनिर्माण प्रदाय और वितरण तथा उसके व्यापार और वणिज्य को विनियमित या प्रतिषिद्ध करने का उपबंध कर सकेगी ।

धारा 10 अनुज्ञा देने, नियंत्रण करने और विनिममित करने की राज्य सरकार की शक्ति :– धारा 8 के उपबन्धो के अधीन रहते हुए राज्य सरकार नियमो के द्वारा विशिष्ट पदार्थ के संबंध में अनुमति दे सकती है और विनियमित कर सकती है।

धारा 11 स्वापक औषधियां और मनोत्तेजक पदार्थ आदि करस्मथ *(Distress)* या कुर्की योग नहीं **:–** किसी विधि या संविदा में प्रतिकूल किसी बात के समाविष्ट होते हुए भी कोई भी स्वापक, औषधि और मनोत्तेजक पदार्थ किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी न्यायालय या प्राधिकारी के किसी आदेश या डिक्री के अंतर्गत या अन्यथा किसी रकम की वसूली के लिए करस्थम या कुर्की के योग नहीं होगें ।

धारा 12 स्वापक औषधियो और मनात्तेजक पदार्थो में बाहरी व्यवहार पर प्रतिबंध :– केवल केन्द्र सरकार के पूर्व प्राधिकार के बिना और ऐसी शर्तों के अधीन जैसा कि इस संबंध में वह सरकार अधिरोपित करें के सिवाय, कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे व्यापार में लिप्त नहीं होगा या व्यापार को नियंत्रित नहीं करेगा जिसके द्वारा स्वापक, औषधिया और मनोत्तेजक पदार्थ भारतवर्ष के बाहर प्राप्त किया जाय ।

धारा 13 स्वादवर्धक, वस्तु को विनिर्मित करने में उपयोग के लिए कोका पौधा और कोका पत्ती से सम्बन्धित विशेष उपबन्ध :– धारा 8 में किसी बात के समावेश होते हुये भी स्वादवर्धक वस्तु को तैयार करने के लिए जो कोई एल्कालाइड समावेश नहीं करेगा और ऐसे उपयोग के लिए आवश्यक सीमा तक शासन की ओर से किसी कोका पौधे की कास्तकारी या उसके किसी भाग को एकत्रित करने या कोका पत्तियों के उत्पादन, कब्जा, बिक्री, खरीदी, परिवहन, अन्तर्राज्य आयात–निर्यात या भारत में आयात को केन्द्र सरकार, शर्तों सहित या शर्तों रहित अनुमति दे सकती है ।

धारा 14 केन्नबिस से संबंधित विशेष उपबंध :– धारा 8 में किसी बात के समावेश होते हुये भी, सरकार या विशेष आदेश के द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन जैसा कि ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, औद्योगिक प्रयोजनों के लिए केवल फाइबर या बीज प्राप्त करने के लिए बागवानी प्रयोजनों के लिए किसी केन्नाबिस पौधे की कास्तकारी की अनुमति दे सकती है ।

अध्याय 4

अपराध और शास्तियॉ

धारा 15 पोस्ते के डंठल (straw) के संबंध में उल्लंघन के लिए दण्ड :– जो कोई भी, इस अधिनियम के प्रावधान, बनाये गये नियम या दिये गये किसी आदेश या उसके अर्न्तगत प्रदत्त अनुज्ञप्ति कीशर्त के उल्लंघन मे पोस्ते के डंठल का उत्पादन करता है। कब्जे मे रहता है परिवहन करता है अन्तर्राज्यीय आयात करता है, अन्तर्राज्यीय निर्यात करता है, बिक्री करता है, खरीदता है, उपयोग करता है या गोदाम नही रखता है या गोदाम नही रखता है या गोदाम मे रखे पोस्ते के डंठल के संबंध मे कोई कृत्य करता है या हटाता है

(अ) जहॉ उल्लंघन छोटी मात्रा का है ऐसी अवधि के सश्रम कारावास से दंडनीय होगा जिसकी अवधि 6 माह तक की होगी या अर्थदण्ड से दंडनीय होगा जो 10,000 रूपये तक होगा या दोनो से दण्डनीय होगा ।

(ब) जहॉ उल्लंघन वाणिज्यिक मात्रा से कम परन्तु छोटी मात्र से अधिक मात्रा का है जब ऐसी अवधि के कठोर कारावास से दण्डनीय होगा जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी और अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो एक लाख रूपये तक हो सकेगा ।

(स) जहॉ उल्लंघन वाणिज्यिक मात्रा का है तब ऐसी अवधि के कठोर कारावास से दंडनीय होगा जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी परन्तु जो बीस वर्ष तक की हो सकेगी तथा अर्थ दंड के लिये उत्तरदायी होगा जो एक लाख रूपये से कम नहीं होगा परन्तु जो दो लाख रूपये तक बढ़ाया जा सकेगा ।

परन्तु न्यायालय, निर्णय में लिखे जाने वाले कारणों से दो लाख रूपये से अधिक अर्थदंड अधिरोपित कर सकेगा ।

धारा 16 कोका पौधा या कोका पत्तियो के संबंध मे उल्लंघन के लिये दण्ड :– जो कोई भी इस अधिनियम के किसी उपबन्ध या किसी नियम या दिए गए आदेश या उसके अन्तर्गत प्रदत्त अनुज्ञप्ति की शर्त के उल्लंघन मे की कोका पौधे की खेती करता है या कोका के पौधे के किसी भाग का संग्रह या कोका की पत्तियों का उत्पादन, कब्जा, विक्रय, क्रय, परिवहन, अतंर्राज्यिक आयात, अंतर्राज्यिक निर्यात या उपयोग करेगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, जो एक लाख रूपए तक हो सकेगा ।

धारा 17 तैयार अफीम के संबंध मे उल्लंघन के लिए दंड :– जो कोई भी, इस अधिनियम के किसी उपबन्ध या किसी नियम यादिये गये आदेश या उसके अर्न्तगत प्रदत्त अनुज्ञप्ति की शर्त के उल्लंघन मे विनिर्मित अफीम का विनिर्माण करता है।, कब्जा रखता है, बिक्री करता है, खरीदता है, परिवहन करता है, अन्तर्राज्य आयात करता है, अन्तर्राज्य निर्यात करता है या उपयोग करता है वह :–

क जहॉ उल्लंघन छोटी मात्रा का है ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो छः माह तक का हो सकेगा या अर्थदंड से दंडनीय से दंडनीय होगा जो दस हजार रूपये तक हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा, या

ख जहॉ उल्लंघन, वाणिज्यिक मात्रा से कम परन्तु छोटी मात्रा से अधिक का है ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो दस वर्ष तक का हो सकेगा और अर्थदंड से दंडनीय होगा जो एक लाख रूपये तक हो सकेगा, या

ग जहॉ उल्लंघन वाणिज्यिक मात्रा का है ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी परन्तु जो बीस वर्ष तक की हो सकेगी तथा अर्थदंड से भी अर्थदंड से भी दंडनीय होगा जो एक लाख रूपये से कम नही होगा परन्तु जो दो लाख रूपये तक हो सकेगा ।

धारा 18 अफीम पोस्ता और अफीम के सम्बंध मे उल्लंघन के लिये दंड :– जो कोई भी, इस अधिनियम के किसी उपबन्ध या किसी नियम या दिये गये आदेश या उसके अर्न्तगत प्रदत्त अनुज्ञप्ति की शर्त के उल्लंघन में अफीम पोस्ता की खेती करता है। या उत्पादन करता है,

विनिर्माण करता है, कब्जा रखता है, बिक्री करता है, खरीदता है, परिवहन करता है, अन्तर्राज्य आयता करता है, अन्तर्राज्य निर्यात करता है, या अफीम का उपयोग करता है

क जहॉ उल्लंघन छोटी मात्रा का है तब कठोर कारावास की ऐसी अवधि के लिये दंडित किया जायेगा जो छः माह तक की हो सकेगी या अर्थदंड से दंडनीय होगा जो दस हजार तक हो सकेगा या दोनो से दंडनीय होगा ।

ख जहॉ उल्लंघन, वाणिज्यिक मात्रा का है तब ऐसी अवधि के कठोर कारावास से दंडनीय होगा जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी परन्तु जो बीस वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी और अर्थदंड से भी दंडनीय होगा जो एक लाख रूपये से कम नहीं होगा परन्तु जो दो लाख रूपये तक बढ़ाया जा सकेगा ।

परन्तु न्यायालय, निर्णय में लिखे जाने वाले कारणों से दो लाख रूपये से अधिक अर्थदंड अधिरोपित कर सकेगा ।

ग अन्य मामलों में कठोर कारावास से दंडनीय होगा जो दस वर्ष तक का हो सकेगा और अर्थदंड से दंडनीय होगा जो एक लाख रूपये तक हो सकेगा ।

धारा 19 कास्तकार के द्वारा अफीम के गबन के लिए दंड :– केन्द्र सरकार की तरफ से अफीम पोस्ता कास्त करने के लिये अनुज्ञप्त कोई कास्तकार जो अफीम का गबन करता है । तो वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से दंडनीय होगा जो दस वर्ष से कम नही होगी किन्तु जो बीस वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी और अर्थदंड के लिए भी उत्तरदायी होगा जो कि एक लाखा रूपये से कम नहीं होगा परन्तु जो दो लाख रूपये तक बढ़ाया जा सकेगा ।

परन्तु न्यायालय, निर्णय में लिखे जाने वाले कारणों से दो लाख रूपये से अधिक अर्थदंड अधिरोपित कर सकेगा ।

धारा 20 केन्नाबिस पौधा और केन्नाबिस के संबंध मे उल्लंघन के लिये दंड :– जो कोई भी इस अधिनियम के किसी उपबन्ध या किसी नियम या दिये गये आदेश या उसके अन्तर्गत प्रदत्त अनुज्ञप्ति की शर्त के उल्लंघन में –

अ) किसी केन्नाबिस पौधे की खेती करता है या

ब) केन्नबिस का उत्पादन करता है, विनिर्माण करता है, कब्जा रखता है, बिक्री करता है, खरीदी करता है, परिवहन करता है, अर्न्तराज्य आयात करता है, अन्तर्राज्य निर्यात करता है या उपयोग करता है,

वह निम्न प्रकार दण्डनीय होगा ।

1) जहॉ ऐसा उल्लंघन खंड (अ) से संबधित है तब ऐसी अवधि के कठोर कारावास से जो दस वर्ष तक हो सकेगा और अर्थदंड के लिये भी उत्तरदायी होगा जो एक लाख रूपये तक हो सकेगा; और।

2) जहॉ एक ऐसा उल्लंघन उपखंड (ब) से संबंधित है–

अ) और छोटी छोटी मात्रा का है तब ऐसी अवधि के कठोर कारावास से जो छः माह तक का हो सकेगा या अर्थदंड से जो दस हजार रूपये तक हो सकेगा या दोनों से,

ब) और वाणिज्यिक मात्रा से कम परन्तु छोटी मात्रा से अधिक का है तब ऐसी अवधि के कठोर कारावास से जो दस वर्ष तक का हो सकेगा और अर्थदंड से जो एक लाख रूपये तक का हो सकेगा;

स) और वाणिज्यिक मात्रा का है तब ऐसी अवधि के कठोर कारावास से जो दस वर्ष से कम नहीं होगा परन्तु जो बीस वर्ष तक विस्तारित हो सकेगा और अर्थदंड के लिये भी उत्तरदायी होगा जो एक लाख रूपये से कम नहीं होगा परन्तु दो लाख रूपये तक विस्तारित हो सकेगा;

परन्तु न्यायालय, निर्णय में लिखे जाने वाले कारणों से दो लाख रूपये से अधिक अर्थदंड अधिरोपित कर सकेगा ।

धारा 21 विनिर्मित औषधियों और विनिर्मितियों के संबंध में उल्लंघन के लिये दंडः– जो कोई भी, इस अधिनियम के किसी उपबन्ध या किसी नियम या दिए गए आदेश या उसके अर्न्तगत प्रदत्त अनुज्ञप्ति की शर्त के उल्लंघन में किसी विनिर्मित औषधि को समावेश करने वाली किसी विनिर्मिती का निर्माण करता है, कब्जा करता है, बिक्री करता है, खरीदता है, परिवहन करता है, अन्तर्राज्य आयात करता है, अन्तर्राज्य निर्यात करता है या उपयोग करता है वह –

(अ) जहॉ उल्लंघन छोटी मात्रा का है तो ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जेा छः माह तक की हो सकेगी या अर्थदंड से दंडित किया जा सकेगा जा`दस हजार रूप्ये तक हो सकेगा या दोनो से दंडित किया जा सकेगा।

(ब) जहॉ उल्ल्घन वाणिज्यिक मात्रा से कम परन्तु छोटी मात्रा से अधिक का है तब ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो दस वर्ष तक का हो सकेगा और अर्थदंड से दंडित किया जा सकेगा जो एक लाख तक हो सकेगा ।

(स) जहॉ उल्ल्घन वाणिज्यिक मात्रा का है तब ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो कि दस वर्ष से कम का नही होगा परन्तु जो बीस वर्ष तक का हो सकेगा और अर्थदंड के लिये भी उत्तरदायी होगा जो एक लाख रूप्ये से कम नहीं होगा परन्तु जो दो लाख रूपये तक का हो सकेगा।

धारा 22 मनोत्तेजक पदार्थो के सम्बंध मे उल्लंघन के लिए दंड :– जो कोई भी इस अधिनियम के किसी उपबन्ध या किसी नियम या दिए गए आदेश या उसके अर्न्तगत प्रदत्त अनुज्ञप्ति की शर्त के उल्लंघन मे किसी मनोत्तेजक पदार्थ का विनिर्माण करता है।, कब्जा रखता है, बिक्री करताहै खरीदता है, परिवहन करता है,

अ) जहॉ उल्लंघन छोटी मात्रा है तब ऐसी अवधि के कडोर कारावास से दंडनीय होगा जो छः माह तक का सकेगा या अर्थदंढ से दंडनीय होगा जो दस हजार रूप्ये तक हो सकेगा या दोनेा से दंडनीय होगा

ब) जहॉ उल्लंघन वाणिज्यिक मात्रा से कम है परन्तु छोटी मात्रा से अधिक का है तब ऐसी अवधि के कठोर कारावास जो दस वर्ष तक का हो सकेगा और दंडनीय होगा और अर्थदंड से दंडनीय होगा । जो एक लाख रूप्ये तक हो जाएगा।

स) जहॉ उल्लंघन वाणिज्यिक मात्रा का है तब ऐसी अवधि के कठोर कारावास सेदंडनीय होगा जेा दस वर्ष से कम का नही होगा परन्तु जो बीस वर्ष तक हो सकेगा तथा अर्थदंड से भी दंडनीय होगा जो एक लाख रूप्ये से कम नही होगा परन्तु जो बीस वर्ष तक हो सकेगा परन्तु दो लाख रूप्ये तक विस्तारित हो सकेगा ।

परन्तु न्यायालय, निर्णय में लिखे जाने वाले कारणों से दो लाख रूपये से अधिक अर्थदंड अधिरोपित कर सकेगा ।

धारा 23 स्वापक औषधि और मनोत्तेजक पदार्थो का भारत मे अवैध आयात भारत से अवैध निर्यात या अवैध पोतान्तरण :– जो कोई भी इस अधिनियम के किसी उपबन्घ, या किसी नियम या दिये गये आदेश या उसके अर्न्तगत प्रदत्त, अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा या जारी किये गये प्रमाण पत्र या प्राधिकार के उल्लंघन मे किसी स्वापक औषधियॉ, मनोत्तेजक पदार्थ का भारत मे आयात करता है या निर्यात करता है या पोतांतर करता है

(अ) तो वह छोटी मात्रा की दशा मे छः माह के कठोर कारावास या 10,000 /– रूपये तक अर्थदंड हो सकेगा ।

(ब) जहॉ मात्रा वाणिज्यिक मात्रा से कम है परन्तु छोटी मात्रा से अधिक है तब 10 वर्ष तक के कठोर कारावास और 1,00,000/– रूपये तक के अर्थदंड से दंडनीय हो सकेगा

(स) जहॉ मात्रा वाणिज्यक मात्रा है तो 10 वर्ष के कठोर कारावास से कम नहीं परन्तु जो 20 वर्ष तक विस्तारित हो सकेगा और अर्थदंड जो 1,00,000/– से कम नहीं परन्तु 2,00,000/– तक विस्तारित हो सकेगा।

परन्तु न्यायालय, निर्णय में लिखे जाने वाले कारणों से दो लाख रूपये से अधिक अर्थदंड अधिरोपित कर सकेगा ।

धारा 24 धारा 12 **के उल्लंघन में स्वापक औषधियों और मनोत्तेजक पदार्थो में बाहरी व्यवहार के लिये दंड :–** जो कोई भी केन्द्र सरकार के पूर्व प्राधिकार के बिना या धारा 12 के अर्न्तगत प्रदत्त ऐसे प्राधिकार शर्तो (यदि हो) के अनुसार से विपरीत, किसी व्यापार मे लिप्त रहता है, तो वह 10 वर्ष से कम कारावास जो 20 वर्ष तक बढ़ायी जा सकेगी और अर्थदंड जो 1,00,000/– से कम नहीं जो 2,00,000/– तक बढ़ाया जा सकेगा ।

परन्तु न्यायालय, निर्णय में लिखे जाने वाले कारणों से दो लाख रूपये से अधिक अर्थदंड अधिरोपित कर सकेगा ।

धारा 25 अपराध घटित करने के लिए उपयोग किए जाने के परिसर आदि के अनुमति के लिए दण्ड :– जो कोई भी, किसी मकान, कमरा, अहाता, स्थल, स्थान जानवर या वाहन के स्वामी या कब्जाधारी या नियंत्रणधारी या उपयोग करने वाला होने पर जानबूझकर इस अधिनियम के किसी प्रावधान के अर्न्तगत दंडनीय उपराध को किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा घटित करने के लिए उपयोग किये जाने की अनुमति देता है। तो वह उस अपराध के लिये उपबंधित दण्ड से दंडनीय होगा।

धारा 25–क धारा 9क **के अधीन किए गए आदेशों के उल्लंघन के लिए दंड** :– यदि कोई व्यक्ति धारा 9क के अधीन किए गए आदेशों के उल्लंघन करेगा तो वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो एक लाख रूपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

परन्तु न्यायालय, निर्णय में लिखे जाने वाले कारणों से एक लाख रूपये से अधिक अर्थदंड अधिरोपित कर सकेगा ।

धारा 26 अनुज्ञप्तिधारी या उसके नौकरो के द्वारा कतिपय कृत्यो के लिए दंड :– इस अधिनियम या उसके अर्न्तगत बनाये गये किसी नियम या आदेश के अर्न्तगत प्रदत्त किसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा या प्राधिकार का धारक या उसके नियोजन मे और उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति

(अ) लेखा रखने या विवरणी पेश करने मे चूक करता है।

(ब) अनुज्ञप्ति पेश करने मे असफल होता है।

(स) ऐसा लेखा रखता है या कथन करता है जिसे वह जानता है कि गलत है ।

(द) अनुज्ञप्ति की शर्त के उल्लंघन मे कोई कार्य करता है

तब वह कारावास से 3 वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता या जुर्माने से या दोनो से दण्डनीय होगा ।

धारा 27 किसी स्वापक औषधि या मनोत्तेजक पदार्थ के उपयोग के लिये दण्ड :– जो कोई भी किसी स्वापक औषधि या मनोत्तेजक पदार्थ का उपयोग करता है वह

(अ) जहॉ उपयोग की गई स्वापक औषधि या मनोत्तेजक पदार्थ, कोकीन, मारफीन, डायसिटल मारफीन है या अन्य कोई स्वापक औषधि या कोई मनोत्तेजक पदार्थ है तो एक वर्ष तक के कठोर कारावास या अर्थदंड से दंडनीय होगा ।

(ब) जहॉ उपयोग की गई स्वापक औषधि या मनोत्तेजक पदार्थ, खण्ड अ में या उसके अंतर्गत विनिर्दिष्ट किया गया है उससे भिन्न है ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 6 माह तक हो सकेगा या अर्थदंड से दंडनीय होगा जो 10,000/– तक हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा ।

केन्द्र सरकार द्वारा छोटी/थोडी मात्रा के संबधं मे जारी अधिसूचना अनुसार मात्रा निम्नवत् है

क्रमांक	मनोत्तेजक पदार्थ	मात्रा
1	Herion Of Drug commonly known as Brown Sugar Or Smack	250 Milligrams
2	Hashish Or Charas	5 Grams
3	Opium	5 Grams
4	Cocaine	125 Milligrams
5	Ganja	500 Grams

धारा 27क, अवैध व्यापार का वित्तपोषण करने और अपराधियों को संश्रय देने के लिए दंड :– जो कोई प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः धारा 2 के खण्ड (क) के उपखण्ड (1) से (5) तक में विनिर्दिष्ट किसी क्रियाकलाप का वित्तपोषण करने या पूर्व वर्णित क्रियाकलापों में से किसी क्रियाकलाप में लगे किसी व्यक्ति को संश्रय देने में संलग्न होगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो 20 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो एक लाख रूपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो 2 लाख रूपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

धारा 28 अपराध घटित करने के प्रयास के लिए दंड :– कोई भी, इस अध्याय के अर्न्तगत दंड योग्य किसी अपराध को धटित करने का प्रयास करता है और ऐसे प्रयास मे अपराध के घटित करने मे कोई कार्य करता है तो वह उस अपराध के लिए दिए गए दंड से दंडनीय होगा ।

धारा 29 दुष्प्रेरण और आपराधिक षडयंत्र के लिए दंड :– जो कोई भी इस अध्याय के अर्न्तगत दंडनीय अपराध को दुष्प्रेरित करता है या घटित करने के आपराधिक षडयंन्त्र में पक्षकार हो तो चाहे ऐसा अपराध ऐसे दुष्प्रेरण के फलस्वरूप या ऐसे अपराधिक षडयंत्र के अनुसरण मे घटित किया गया हो या घटित न किया गया हो और भारतीय दंड संहिता की धारा 116 मे किसी बात के समाविष्ट होते हुए भी उस अपराध के लिए दिए गए दण्ड से दण्डनीय होगा ।

धारा 30 तैयारी :– जो कोई धारा 19, 24, और 27क, और स्वापक औषधि के मनोत्तेजक पदार्थ के वाणिज्यिक मात्रा के अपराध के लिये तैयारी करता है या कार्य करने मे चूक करता है तो वह कारावास की न्यूनतम अवधि से आधी से कम नहीं होगी और उस अर्थ दंड की न्यूनतम राशि के आधे से कम नहीं होगी जिससे की वह दण्डित किया गया होता है।

धारा 31 पूर्व दोष सिद्धि के बाद अपराधो के लिए वर्धित दंड :– यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध मेसे सिद्ध दोष किया गया हो तथा वह पुनः इस अधिनियम के अर्न्तगत किसी अपराध के घटित करने के लिये सिद्ध दोष किया जाता है, जो उसी दण्ड की मात्रा से दण्डनीय है तो दुसरी बार प्रत्येक पशचात् वर्तीय अपराध मे कारावास की अधिकतम अवधि के डेढ गुना तक विस्तारित हो सकेगा,

और अर्थदंड के अधिकतम राशि के डेढ गुना तक विस्तारित हो सकेगा।

धारा 31क पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात् कुछ अपराधों के लिए मृत्युदंड :– धारा 31 में किसी बात के होते हुये भी, (धारा 19, 24 और 27क के अधीन दंडनीय और किसी स्वापक औषधि या मनोत्तेजक पदार्थ की वाणिज्यिक मात्रा के अपराधों के लिए दंडनीय) किसी अपराध के किये जाने या करने का प्रयत्न करने या दुष्प्रेरण करने या करने के आपराधिक षडयंत्र के लिए तदनंतर सिद्धदोष ठहराया जाता है तो मृत्युदंड से दंडनीय होगा,

धारा 32 ऐसे अपराध के लिये दंड जिसके लिये कोई दंड उपबंधित न हो :– जो कोई अधिनियम के किसी नियम आदेश या शर्त या प्राधिकार का उल्लंघन करता है तो वह 6 माह तक विस्तारित कारावास या अर्थदंड से या दोनों से दंडनीय होगा ।

धारा 33 दंड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 360 और अपराधी परिवीक्षा अधिनियम :– दंड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 360 और अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 में समाविष्ट कोई बात, इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति को लागू नहीं होगी जब तक कि ऐसा व्यक्ति 18 वर्ष की आयु का न हो या अपराध जिसके लिए ऐसा व्यक्ति दोषसिद्ध किया गया हो धारा 26 एवं 27 के अंतर्गत दंडनीय न हो ।

धारा 34 अपराध को घटित करने से प्रचरित करने के लिये प्रतिभूति :– जब कभी कोई व्यक्ति दोष सिद्ध किया जाता है और न्यायालक का विचार हो कि उस व्यक्ति को बंधक पत्र निष्पादित करना आवश्यक है तब प्रतिभुति रहित या सहित बंध पत्र के लिये आदेश दे सकेगा ।

धारा 35 अपराधिक मानसिक दशा का अनुमान :– यादि किसी अभियोजन मे अपराधिक मानसिक दशा की अपेक्षा करता है तो न्यायालय मानसिक दशा का अनुमान लगायेगा ।

धारा 36 विशेष न्यायालयो का गठन :– सरकार इस अधिनियम के अधीन शीघ्र विचारण के प्रयोजन के लिये विशेष न्यायालयों का गठन कर सकेगी।

धारा 37 अपराधो का संज्ञेय और अजमानतीय होना :– **1** दंड प्रकिया संहिता, 1973 (1974 का 2) मे किसी बात होते हुए भीः–

(क) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा ।

(ख) धारा 19 या धारा 24 या धारा 27क के अर्न्तगत के अपराध और वाणिज्यिक मात्रा के अपराधो के लिये भी के दंडनीय अपराध के अभियुक्त किसी भी व्यक्ति को जमानत पर या मुचलक पर तभी निमुर्क्त किया जाएगा जब :–

1 लोक प्रयोजन की ऐसी नियुक्ति के लिए किये गये आवेदन का विरोध करने का आवसर दे दिया गया है और

2 जहॉ लोक अभियोजन आवेदन का विरोध करता है वहां न्यायालय का यह समाधान हो गया है कि यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार है कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर होने के दौरान उसके द्वारा कोई अपराध किये जाने की संभावना नही है

धारा 38 कम्पनीयों द्वारा अपराध :– जहॉ अपराध कम्पनियो द्वारा किया गया तो जो प्रत्येक व्यक्ति जो कम्पनी के प्रति जिम्मेदार है साथ ही कम्पनी भी तदनुसार दण्डित करने योग्य होगी,

धारा 39 कतिपय अपराधियों को परिवीक्षा मे छोड़ने की न्यायालय की शक्ति :– जब कोई आदि अपराध का दोषी पाया जाता है और न्यायालय अपराधी आयु पूर्व आचरण शारीरीक मानसिक स्थिति को ध्यानमे रखकर विहित प्ररूप मे प्रतिभूति रहित या सहित बंधपत्र निष्पादित किये जानेपर उसको मुक्त किये जाने के लिये निर्देश दे सकता है ।

धारा 40 कतिपय अपराधीयों के नाम आदि प्रकाशित करने की न्यायालय की शक्ति :– किसी अपराध मे दोष सिद्ध किया जाता है तब ऐसे व्यक्ति व्यवहार व्यापार का स्थान, व्यक्ति का निवास, उल्लंघन की प्रकृति तथा अन्य ऐसे विवरण जो न्यायालय जो उचित समझे समाचार पत्रो मे प्रकाशित कराये जाने के लिए सक्षम होगा ।

धारा 41 वारंट और प्राधिकार जारी करने की शक्ति :– मेट्रोपोलिटन दंडाधिकारी या प्रथम श्रेणी का दंडाधिकारी या इस संबंध मे राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त द्वितीय श्रेणी का दंडाधिकारी किसी व्यक्ति के लिये गिरफ्तारी के लिये वारंट जारी कर सकता है ।

धारा 42 बिना वारंट या प्राधिकारी के प्रवेश तलाशी जब्ती व गिरफ्तारी की शक्ति :– ऐसा कोई भी अधिकारी जो केन्द्रीय आबकारी सीमा शुल्क स्वापक औषधियॉ राजस्व आसूचना विभाग या केन्द्र सरकार के अन्य किसी विभाग जैसा कि संबंध में विशेष रूप से केन्द्र सरकार द्वारा आदेश द्वारा सशक्त किया जाए। प्रवेश कर सकता है तलाशी व जब्ती की कार्यवाही कर सकता है। धारा 42 के द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए राज्य शासन निम्न पदाधिकारियो को इस धारा के प्रयोजन के लिये उनके संबधित क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सशक्त करती है ।

1 आबकारी विभाग :–

1 आबकारी आयुक्त /सहायक आबकारी आयुक्त
2 उप आबकारी आयुक्त
3 सहायक आबकारी आयुक्त/सहायक आबकारी आयुक्त उड़नदस्ता
4 जिला आबकारी अधिकारी/सहायक जिला आबकारी अधिकारी उड़नदस्ता
5 सहायक जिला आबकारी अधिकारी/सहायक जिला आबकारी अधिकारी उड़नदस्ता

2 पुलिस विभाग :–

1 पुलिस अधीक्षक/अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
2 उप पुलिस अधीक्षक
3 सहायक पुलिस अधीक्षक
4 निरीक्षक
5 उप निरीक्षक
6 सहायक उप निरीक्षक

3 राजस्व विभाग :–

1 कलेक्टर/अरिरिक्त कलेक्टर
2 सहायक कलेक्टर
3 उप कलेक्टर
4 तहसीलदार
5 नयाब तहसीलदार

4 औषधि विभाग :–

1 औषधि नियंत्रक
2 सहायक औषधि नियंत्रक
3 औषधि निरीक्षक

धारा 43 लोक स्थानों में अभिग्रहण और गिरफ्तारी की शक्ति :– कोई अधिकारी किसी लोक स्थान मे स्वापक औषधि या मनोत्तेजक पदार्थ जो इस अधिनियम के अर्न्तगत दण्डनीय अपराध है राजसात करने योग्य किसी पशु वाहन या वस्तु पदार्थ सहित जब्त कर सकता है।

धारा 44 कोका पौधा अफीम पोस्ता केन्नबिस पौधे से संबधित अपराधो में प्रवेश तलाशी अभिग्रहण और गिरफ्तारी की शक्ति :– धारा 41, 42 के उपबंध कोका पौधा अफीम पोस्ता एक केन्नबिस पौधा के संबंध मे लागू होगे

धारा 45 जहा अधिहरण योग्य माल का अभिग्रहण व्यावहारिक नहीं है :– जहॉ किसी माल का अभिग्रहण करना व्यावहारिक न हो तो अधिकारी के पूर्व अनुमति के बिना माल का स्वामी उस माल को नही हटायेगा

धारा 46 अवैध कास्तकारी की जानकारी देने की जमीन धारक का कर्त्तव्य :— जमीन का प्रत्येक धारक उसकी जमीन के अन्दर अवैध रूप से कास्त किये जाने की सूचना पुलिस या संबधित विभाग को देगा और जमीन का ऐसा प्रत्येक धारक ऐसी जानबूझकर ऐसी सूचना देने असावधानी करता है वह दण्डित करने योग्य होगा ।

धारा 47 अवैध कास्तकारी की सूचना देने की कतिपय अधिकारीयो का कर्तव्य :— सरकार का प्रत्येक अधिकारी और प्रत्येक पंच सरपंच या ग्रमधिकारी के ज्ञान मे अवैध कास्त की गयी है तो वह पुलिस या संबधित विभाग को सूचना देगा

धारा 48 अवैध रूप से कास्तकारी की गयी फसल को कुर्क करने की शक्ति :— कोई न्यायिक दण्डाधिकारी या राज्य शासन द्वारा सशक्त कोई दण्डाधिकारी अवैध रूप कास्तकारी की गयी फसल को कुर्क करने का आदेश दे सकता है ।

धारा 49 वाहन को रोकने और तलाशी लेने की शक्ति :— धारा 42 के अन्तर्गत कोई सशक्त अधिकारी संदेह के आधार पशु या वाहन को रोक कर तलाशी ले सकता है

धारा 50 शर्त जिसके अर्न्तगत व्यक्तियो की तलाशी संचालित की जायेगी :— जब कोई प्राधिकारी किसी व्यक्ति की तलाशी लेने वाला हो और यदि वह व्यक्ति ऐसी अपेक्षा करे तो उस व्यक्ति को बिना विलंब किये संबधित विभाग मे से किसी राजपत्रित अधिकारी या निकटतम दण्डाधिकारी के समक्ष ले जाया जायेगा ।

किसी भी महिला की केवल महिला के सिवाय अन्य के द्वारा तलाशी नही ली जायेगी।

धारा 51 दण्डप्रकिया संहिता, 1973 के उपबंध वारंट गिरफ्तारीयो और अभिग्रहणो को लागू होना :— दण्ड प्रकिया सहिंता क उपबंध इस अधिनियम के अर्न्तगत जारी सभी वारंटो और की गयी गिरफ्तारीयेा तलाशीयो और अभिग्रहणो को लागू होगे ।

धारा 52 गिरफ्तार किए गये व्यक्तियो और अधिग्रहित की गयी वस्तुओ का व्ययन :— किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाला अधिकारी उसकी गिरफ्तारी का आधार सूचित करेगा ।

वारंट के अर्न्तगत गिरफ्तार प्रत्येक व्यक्ति और वस्तु उस दण्डाधिकारी को अग्रेषित कि जाएगी जिसने वारंट जारी किया था

गिरफ्तार प्रत्येक व्यक्ति और वस्तु बिना विलंब के न्म्नि को प्रेषित किया जाएगा (अ) निकटतम पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी (ब) धारा 53 के अर्न्तगत सशक्त अधिकारी ।

धारा 53 कतिपय विभागो के अधिकारीयो में पुलिस स्टेशन में प्रभारी अधिकारी :— केन्द्र सरकार किसी अधिकारी या किसी विभाग के ऐसे अधिकारी को इस अधिनियम के अर्न्तगत अन्वेषण पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्ति विनिहित कर सकता है राज्य शासन अधिसूचना द्वारा संबधित विभाग के किसी अधिकरी को इस अधिनियम के अर्न्तगत अपराधो के अन्वेषण के लिये पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की शक्ति विनिहित कर सकता है।

धारा 54 अवैध वस्तु के कब्जे से अनुमान :— इस अधिनियम के अर्न्तगत विचारण में, जब तक प्रतिकुल सिद्ध न कर दिया जाय, यह अनुमान किया जा सकता है कि अभियुक्त ने अपराध घटित किया है जिसके कब्जे से वह बरामद हुआ है ।

धारा 55 अभिग्रहण की गयी और प्रदाय की गयी वस्तुओ का प्रभार पुलिस द्वारा लेना :— पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी सभी वस्तुओ को जो उसे प्रदाय की जाए प्रभार मे लेगा और सुरक्षित रखेगा ।

धारा 56 अधिकारीयों का एक—दुसरे को सहयोग बाध्यता :— धारा 42 मे दिये गये विभिन्न विभागो अधिकारी सूचना दिये जाने पर इस अधिनियम के उपबंधो को क्रियान्वित करने मे एक—दुसरे को सहयोग करने विधिक रूप से बाध्य होगे।

धारा 57 गिरफ्तारी और अभिग्रहण की रिर्पोट :— जब कोई अधिकारी इस अधिनियम के अर्न्तगत गिरफ्तारी और अभिग्रहण करता है तो तुरन्त **48 घंटे** के अन्दर निकटतम वरिष्ठ अधिकारी को सभी विवरण की पूरी रिर्पोट देगा ।

धारा 58 तंग करने वाले प्रवेश, तलाशी, गिरफ्तारी या अभिग्रहण के लिये दंड :– धारा 42, 43, 44 के अर्न्तगत कोई सशक्त व्यक्ति/अधिकारी जो किसी व्यक्ति को तंग करने की दृष्टि से उसके खिलाफ गिरफ्तारी या अभिग्रहण की कारवाई करता है तो वह कारावास से के दंड से 6 माह तक विस्तारित की जा सकेगी या अर्थदण्ड से 1000/– तक विस्तारित किया जा सकता है या दोनो मे से दंडनीय होगा ।

धारा 59 इस अधिनियम के उल्लंघन पर कर्तव्यरत अधिकारी की असफलता या उसकी मौनानूकुलता :– कोई अधिकारी जो पद के कर्त्तव्यों का पालन करना बंद कर देता या अस्वीकार कर देता है तो वह ऐसी अवधि के कारावास से एक वर्ष तक विस्तारित की जा सकती है या दोनों से दंडनीय होगा ।

धारा 60 अवैध औषधियां पदार्थ संयंत्र वाहन को अधिग्रहण करने का दायित्व :– जब कभी इस अधिनियम के अर्न्तगत दंडनीय अपराध घटित किया गया हो तब पदार्थ वस्तुऐ यंत्र बर्तेन और वाहन अधिहरण योग्य होगे ।

धारा 61 अवैध औषधियां पदार्थो को छिपाने के लिये उपयोग किए गए माल का अधिहरण :– कोई स्वापक औषधि या मनोत्तेजक औषधि या मनोत्तेजक पदार्थ या नियंत्रित पदार्थ जो इस अधिनियम के अर्न्तगत अधिग्रहण करने योग्य है उसको छिपाने के लिये उपयोग किया गया कोई माल भी अधिहरण करने योग्य होगा ।

धारा 62 अवैध औषधियो और पदार्थो के विक्रय मूल्य का अधिहरण :– जहॉ कोई स्वापक वस्तु या मनोत्तेजक पदार्थ उस व्यक्ति के द्वारा जिसे यह विश्वास करने के लिये ज्ञान और कारण है कि औषधि या वस्तु अधिनियम के अंर्तगत अधिहरण करने योग्य है, बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य भी अधिहरण करने योग्य है ।

धारा 63 अधिहरण करने की प्रक्रिया :– इस अधिनियम के अर्न्तगत अपराध के विचारण में चाहे सिद्धदोष हो या दोषमुक्त हो या उन्मुक्त हो न्यायालय निर्णय करेगा कि इस अधिनियम के अर्न्तगत अभिग्रहण की गई कोई वस्तु या चीज धारा 61 या 62 के अर्न्तगत अधिहरण करने योग्य है या नहीं तदनुसार आदेश पारित कर सकता है।

धारा 64 अभियोजन से उन्मुक्ति देने की शक्ति :– केन्द्र सरकार या राज्य राज्य की ऐसी राय है कि इस अधिनियम के उपबन्धो में से किसी उपबन्ध के अंर्तगत किसी व्यक्ति का साक्ष्य प्राप्त करने की दृष्टि से किसी अपराध के लिये ऐसे व्यक्ति को अभियोजन से अन्मुक्ति दे सकती है ।

धारा 65 विलोपित

धारा 66 कतिपय मामलो मे दस्तावेजो के सम्बंध मे अनुमान :– जहॉ कोई दस्तावेज किसी व्यक्ति के द्वारा पेश किया जाता है और ऐसा दस्तावेज किसी व्यक्ति के विरूध साक्ष्य रूप मे पेश किया गया हो तब न्यायालय दस्तावेज को साक्ष्य रूप मे स्वीकार करेगा तथा ऐसे दस्तावेज की सत्यता का भी अनुमान करेगा ।

धारा 67 जानकारी मंगाने की शक्ति :– धारा 42 मे उल्लेखित कोई प्राधिकारी जा केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा इस संबंध मे प्राधिकृत किया गया हो, इस अधिनियम के किसी अपराध के उल्लंघन के सम्बंध मे किसी जॉच के दौरान :–

अ. अपने आपको सन्तुष्ट करने के प्रयोजन से कि क्या इस अधिनियम के किसी उपबंध या उसके अर्न्तगत किसी नियम या किये गये आदेश का उल्लंघन किया गया है किसी व्यक्ति से जानकारी मंगा सकता है ।

ब. जांच के लिये उपयोगी या संगत किसी दस्तावेजे या चीज को पेश करने या प्रदाय करने के लिए किसी व्यक्ति से अपेक्षा कर सकता है।

स. मामले के तथ्यो और परिस्थितियेा से परिचित किसी व्यक्ति का परीक्षण कर सकता है।

धारा 68 अपराध घटित होने की जानकारी :– इस अधिनियम के उपबंध या उसके अर्न्तगत के नियम या दिए गये आदेश के अर्न्तगत उसमे निहित शक्तियो के प्रयोग मे कार्य करने वाला कोई

अधिकारी यह कहने के लिये बाध्य नही किया जायेगा कि किसी अपराध के घटित होने के संबंध मे उसे जानकारी कब प्राप्त हुई ।

धारा 69 सदभावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण :– इस अधिनियम या इसके अर्न्तगत बनाये गये किसी नियम या आदेश के अर्न्तगत सदभावपूर्वक की गई किसी बात किये जाने की आशयति किसी बात के लियें कोई वाद, अभियेाजन या अन्य विधिक कार्यवाही, केन्द्र सरकार, या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकरी या इस अधिनियम के अर्न्तगत किन्हीं शक्ति का प्रयोग करने वाले या किसी कृत्य के निर्वहन या कर्तव्य का पालन करने वाले किसी व्यक्ति के विरूद्ध संस्थिति नहीं होगी ।

धारा 70 नियम बनाते समय केन्द्र सरकार और राज्य सरकार का अर्न्तराष्ट्रीय अभिसमय :– इस अधिनियम के अर्न्तगत जहां कही भी केन्द्र सरकार या राज्य सरकार को नियम बनाने के लिए सशक्त किया गया है तब यथास्थिति केन्द्र सरकार या राज्य सरकार अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय जिसमे भारत पक्षकार बन सकता है क॰ उपबंधेा को घ्यान रख सकती है।

धारा 71 आदियों (व्यसनियों) की पहचान उपचार आदि के लिये स्वापक औषधि या मनोत्तेजक पदार्थ की पूर्ति के लिये केन्द्र स्थापित करने की शक्ति :– आदियो की पहचान उपचार पूनर्वास के लिये और मनोत्तेजक पदार्थ के पूर्ति के लिये सरकार केन्द्र स्थापित करेगी जैसा उचित समझे।

धारा 72 सरकार को देय राशियों की वसूली :– इस अधिनियम के उपबंध के अर्न्तगत सरकार या सरकार का अधिकारी उस व्यक्ति से वसूली योग्य या बकाया हो उस व्यक्ति या उसके जमानतदार से भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूल की जा सकती है।

धारा 73 क्षेत्राधिकारी का वर्जन :– कोई भी सिविल न्यायालय, इस अधिनियम या उसके अर्न्तगत बनाये गये किसी नियम के अर्न्तगत उल्लेखित विषयों में से किसी एक विषय पर किसी अधिकारी या प्राधिकारी के द्वारा लिये गये किसी निर्णय या पारित आदेश के विरूद्ध कोई बाद या कार्यवाही स्वीकर नहीं करेगी।

धारा 74 संक्रमणकालीन उपबन्ध :– इस अधिनियम के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व, इस अधिनियम में उपबन्धित किये गये किन्ही विषयो के सम्बंध में किन्हीं शक्तियों या कर्त्तव्यों का प्रयोग करने वाला या पालन करने वाला सरकार का प्रत्येक कर्मचारी, ऐसे प्रारंभ पर उसी पद पर उसी पदनाम सहित, जैसा कि वह ऐसे प्रारंभ के पूर्व धारित करता था, इस अधिनियम के संबंधित उपबंध के अंतर्गत नियुक्त किया गया माना जाएगा ।

धारा 75 प्रत्योजित करने की शक्ति :– केन्द्र सरकार, राजपत्र मे मे अधिसूचना के द्वारा ऐसी शर्तो और सीमाओ के अधीन जैसा कि अधिसूचना मे विनिर्दिष्ट किया जाय, इस अधिनियम के अंतर्गत अपनी ऐसी शक्तियों और कृत्यों को जैसा कि वह आवश्यक समझें, बोर्ड को या किसी अन्य प्राधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकती है ।

धारा 76 केन्द्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति :– अधिनियम के अन्य उपबन्धो के अधीन रहते हुए केन्द्र सरकार, राजपत्र मे अधिसूचना के द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनो को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकती है ।

धारा 77 नियम और अधिसूचना का संसद के समक्ष रखा जाना :– इस अधिनियम के अर्न्तगत केन्द्रसरकार द्वारा बनाये गये नियम और धारा 2 के खंड (11), धारा 3, धारा 27 के अंतर्गत जारी प्रत्येक अधिसूचना या आदेश उसके बनाये जाने या जारी किये जाने के बाद संसद के दोनों सदनों के समक्ष, यथाशीघ्र रखा जायेगा ।

धारा 78 नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति :– इस अधिनियम के अन्य उपबंधो के अघ्यधीन रहते हुए, राज्य सरकार, राजपत्र मे अधिसूचना के द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनो को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

धारा 79 सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 का लागू होना :– स्वापक औषधियॉ और मनोत्तेजक पदार्थो के भारत मे आयात और निर्यात एवं पोतान्तरण पर इस अधिनियम के अर्न्तगत या द्वारा

अधिरोपित सभी निषेध और प्रतिबंध सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अर्न्तगत या द्वारा अधिरोपित निषेध और प्रतिबंध होना माने जायेंगे और इस अधिनियम के उपबंध तदनुसार लागू होगें।

धारा 80 औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 का लागू होना प्रतिबन्धित नहीं :– इस अधिनियम के उपबन्ध या उसके अर्न्तगत बनाये गये नियम, औषधि और प्रसाधान साामग्री अधिनियम 1940 या उसके अंतर्गत बने नियम के साथ–साथ है और उसमें कमी करने के लिए नहीं है ।

धारा 81 राज्य एंव विशेष विधियो की व्यावृत्ति :– इस अधिनियम की या उसके अर्न्तगत बनाये गये नियम की कोई बात, तत्समय प्रवृत्त किसी प्रांतीय अधिनियम या किसी राज्य के विधान मंडल के किसी अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अंतर्गत दंड का उपबंध करता है जो इस अधिनियम के अंतर्गत उपबंधित नहीं किया गया है तो उसकी वैधता को प्रभावित नहीं करेगा ।

धारा 82 निरसन और व्यावृत्तियॉ :– अफीम अधिनियम 1857, अफीम अधिनियम 1878 और अनिष्टकर मादक द्रव्य अधिनियम 1930 एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं ।

धारा 83 कठिनाईयां दूर करने की शक्ति :– इस अधिनियम के उपबंधो को प्रभावशील करने मे यदि कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र मे प्रकाशित आदेश द्वारा, कठिनाई दूर करने के लिये जैसे– उसे उचित प्रतीत हो, इस अधिनियम के असंगत न हो ऐसा उपबंध बना सकती है ।